

20/04/23 पत्रावली आज महंगाई राहत कैम्प एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 कैम्प कोर्ट घल में पेशा हुई। वकील जर्गी व पौरोकार सरकार उपर। कैम्प कोर्ट में आदेश क्रमांक 47-51 दिनांक 23.4.23 के तहत जर्गीया के नाम की छुट्टी की जा चुकी है। अब प्रकण में किसी भी प्रकार की कोर्ट कार्यवाही लंबित नहीं होने के कारण प्रकण/पत्रावली को वही स्तर पर निस्तारित की जाती है। पत्रावली केवल शुमार दोबर दर्ज नम्बर से कम दोबर दाखिल इफतर है।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2023 को कैम्प कोर्ट घल में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज

23.4.23
शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़, जिला अजमेर
महंगाई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवों
के संग अभियान 2023

सुपुटर

महंगाई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवों
के संग अभियान 2023 में पाए

